

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार 2017

पीठासीन अधिकारी:-श्री साधुराम, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:- 22/16 वाद पत्र.

उनवान

1-शंकरलाल पिता जेता जाट आयु वयस्क नि० मेरनिया खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)

वादी

बनाम

1-हुक्मा पिता तलोक जाट आयु वयस्क नि० मेरनिया खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)

2-प्रकाशचन्द्र पिता शिवलाल जाट आयु वयस्क नि० मेरनिया खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)

3-स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा बजरिये शाखा

प्रबन्धक

4-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद -

अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक 26.5.2017

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प अटल सेवा केन्द्र कोट मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मेरनिया खेडा पटवार हल्का कोट तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी मे मुझ वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के संयुक्त खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजियात संख्या 396 रकबा 1.46 हे०, 436 रकबा 4.95 हे०, 437 रकबा 0.44 हे०, 438 रकबा 0.03 हे०, गै०मु० आराजी चाह, 439 रकबा 0.51 हे०, 495 रकबा 0.78 हे०, 615 रकबा 0.88 हे०, 622 रकबा 0.14 हे०, कुल कित्ता 8 कुल रकबा 9.15 हे० मे वादी का 1/2 हिस्सा एवं आराजी संख्या 438 आराजी चाह को सामलाती रखते हुए तथा रहन का इन्द्राज यथावत रखते हुए कब्जे अनुसार स्वतंत्र राजस्व खाता रेवेन्यु रेकार्ड मे खोले जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने एवं तहसीलदार रायपुर को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश करने का आदेश दिया गया था जिसकी पालना में दिनांक 26.05.2017 को तहसीलदार रायपुर द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव का जारी डिक्री एवं रेकार्ड आफ राईट्स जमाबन्दी से मिलान किया गया जो सही प्रतीत होने से विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम मेरनिया खेडा पटवार हल्का कोट तहसील रायपुर के आराजी संख्या 396/2 रकबा 0.69, आराजी संख्या 436/2 रकबा 2.46, आराजी संख्या 437 रकबा 0.44, आराजी संख्या 495/2 रकबा 0.39 आराजी संख्या 615/1 रकबा 0.44, आराजी संख्या 622 रकबा 0.14 कुल कित्ता 6 कुल रकबा 4.56 है० शंकरलाल पिता जेता जाट सा देह खातेदार रहन एसबीबीजे शाखा रायपुर आराजी संख्या 396/1 रकबा 0.77 है०, आराजी संख्या 436/1 रकबा 2.46 है०, आराजी संख्या 439 रकबा 0.51 है०,

आराजी संख्या 495/1 रकबा 0.39 है0, आराजी संख्या 615/2 रकबा 0.44 कुल कित्ता 5 कुल रकबा 4.57 है0 हुकम पिता तलोक 1/2 प्रकाश जाट सा देह खातेदार रहन एसबीबीजे रायपुर हि हुक्मा आराजी संख्या 438 रकबा 0.03 है0, आराजी संख्या 436/3 रकबा 0.03 रास्ता शामिलत बदस्तुर दर्ज रेकार्ड किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेग अपना अपना वहन करें।

साधुराम जाट

आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 26.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)

रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 रूल्य 6-7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारी:-श्री साधुराम जाट आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:- 22/16 वाद पत्र.

उनवान

1-शंकरलाल पिता जेता जाट आयु वयस्क नि० मेरनिया खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)

वादी

बनाम

1-हुक्मा पिता तलोक जाट आयु वयस्क नि० मेरनिया खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)

2-प्रकाशचन्द्र पिता शिवलाल जाट आयु वयस्क नि० मेरनिया खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा(राज.)

3-स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा बजरिये शाखा प्रबन्धक

4-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्तु इन फिसान कतई रुबरु हमारे बहाजरी वाद वादी स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री वादीगण के पक्ष मे विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम मेरनिया खेडा पटवार हल्का कोट तहसील रायपुर के आराजी संख्या 396/2 रकबा 0.69, आराजी संख्या 436/2 रकबा 2.46, आराजी संख्या 437 रकबा 0.44, आराजी संख्या 495/2 रकबा 0.39 आराजी संख्या 615/1 रकबा 0.44, आराजी संख्या 622 रकबा 0.14 कुल किता 6 कुल रकबा 4.56 है० शंकरलाल पिता जेता जाट सा देह खातेदार रहन एसबीबीजे शाखा रायपुर आराजी संख्या 396/1 रकबा 0.77 है०, आराजी संख्या 436/1 रकबा 2.46 है०, आराजी संख्या 439 रकबा 0.51 है०, आराजी संख्या 495/1 रकबा 0.39 है०, आराजी संख्या 615/2 रकबा 0.44 कुल किता 5 कुल रकबा 4.57 है० हुक्म पिता तलोक 1/2-प्रकाश जाट सा देह खातेदार रहन एसबीबीजे रायपुर हि हुक्मा आराजी संख्या 438 रकबा 0.03 है०, आराजी संख्या 436/3 रकबा 0.03 रास्ता शामलात बदस्तुर दर्ज रेकार्ड किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

साधुराम जाट
आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

यह आज तारीख 26.5.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा